



प्ररूप-तीन

(नियम 3(2)(चार) देखिए)

प्रस्तावित फीस संरचना सत्र 20- 20

द्वारा : BRC BAIHAR

आवेदक का नाम, UTKARSH VIDHYALAYA

विद्यालय का पता पिनकोड सहित AT POST GARHI BAIHAR BALAGHAT

टेलीफोन नंबर (कार्या) +91 8263175848

मेल आईडी : utkarshgarhi@gmail.com

आईस कोड : 23450910309

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति,
जिला- Balaghat ।

विषय : शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए UTKARSH VIDHYALAYA विद्यालय हेतु प्रस्तावित फीस संरचना ।

श्रीमान/श्रीमती,

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के
अनुसार Community Development Centre (न्यास/समिति/उपक्रम का नाम) द्वारा संचालित UTKARSH VIDHYALAYA
विद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रस्तावित फीस संरचना, परिशिष्ट-I अनुसार संलग्न है ।

- विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने संकल्प संख्या क्रमांक CDC/SMC/2024/02 दिनांक 06 Feb 2024
द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए उपर्युक्त फीस संरचना का निर्धारण किया गया है जिसे जिला
समिति की जानकारी हेतु एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।
- प्रक्रिया फीस रूपये का ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया गया है ।
- विद्यालय प्रबंधन का प्रस्ताव है कि :-
(क) आगामी शैक्षणिक सत्र में विगत शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है ।
अथवा
(ख) विगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तुलना में इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 की फीस 10 प्रतिशत बढ़ाई जाए ।
- मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और इस अधिनियम के
अधीन बनाये गये नियम, 2020 के सभी प्रावधानों को हमारे द्वारा पढ़ और समझ लिया गया है तथा जिसका पालन
करने के लिए विद्यालय प्रबंधन बाध्य है ।
- विद्यालय के संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी, अनुमानित बजट प्राक्कलन एवं अन्य जानकारी, अभिलेख और साक्ष्य
जो उक्त नियमों के अधीन आवश्यक है, पोर्टल पर दर्ज व अपलोड कर दिए गए हैं ।
- उक्त नियमों के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाला आवश्यक दघन पत्र परिशिष्ट -II अनुसार संलग्न है ।

भवदीय

(AMEEN CHAKRA)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राध्यापक/ प्रधानाध्यापक/ संचालक/ प्रबंधक/ न्यासी

विद्यालय/ न्यास/समिति/उपक्रम का नाम UTKARSH VIDHYALAYA

नोट-उपर्युक्त प्ररूप में आवश्यक जानकारी अंकित कर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित उपरान्त निजी विद्यालय द्वारा
पोर्टल पर अपलोड की जाए ।



भा.रा.सं.
0411 (8)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

परिशिष्ट-1

1. प्रस्तावित फीस संरचना - शैक्षिक सत्र 2024-25

अनुक्र. मांक	प्रमाण पूर्व प्राथमिक/ प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक (प्रवर्गवार)	प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित वार्षिक फीस आगामी सत्र.....	प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस गिगत सत्र.....	प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस में वृद्धि/कमी प्रतिशत में	अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के कम में फीस वृद्धि का औचित्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिक्षण फीस				(अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) अनुसार विकल्प ड्राप-डाउन उपलब्ध रहेंगे)
2	पुस्तकालय फीस				
3	वाचनालय फीस				
4	खेल फीस				
5	प्रयोगशाला फीस				
6	कंप्यूटर फीस				
7	कॉशन मनी				
8	परीक्षा फीस				
9	अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिये फीस जैसे- राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, खेलकूद स्पर्धा				Saperate Sheet Enclosed
10	प्रवेश फीस				
11	पंजीकरण, विवरण पत्रिका, प्रवेश आवेदन प्ररूप के लिये फीस				
12	अन्य कोई राशि जिसका संदाय किया जाना छात्र के लिये आज्ञापक(Mandatory) हो				
13	छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि जो सरकार द्वारा विहित की जाए				
14	परिवहन फीस				
	कुल फीस				

(कृपया विभागवार, प्रवर्गवार पृथक-पृथक सीट संलग्न करें।)

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे संज्ञान एवं विश्वास अनुसार सही है और इन्हें बियातल के मूल अनिलेखों से सत्यापित किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नम्बर प्रवेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुक्रम में फीस में वृद्धि के फलस्वरूप, जिस वर्ष के लिए फीस वृद्धि प्रस्तावित है, उस वर्ष के प्रस्तावित व्यय के आधार पर वार्षिक प्राप्ति पर अधिशेष 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भददीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/ संचालक/प्रबंधक/न्यासी
विद्यालय/न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

**प्रमाणीकरण**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे संज्ञान एवं विश्वास अनुसार सही है और इन्हें विद्यालय के मूल अभिलेखों से सत्यापित किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुक्रम में फीस में वृद्धि के फलस्वरूप, जिस वर्ष के लिए फीस वृद्धि प्रस्तावित है, उस वर्ष के प्रस्तावित व्यय के आधार पर वार्षिक प्राप्तियों पर अधिशेष 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/ संचालक/प्रबंधक/न्यासी
विद्यालय/न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

Free Structure for 2024-25										
Fee Bifurcation	KG-I	KG-II	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th
Tuition Fee	6436	6436	6436	6436	6436	6436	7967	7967	7967	7967
Bus Fee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exam Fee	250	250	250	400	500	500	500	600	600	600
Sports Fee	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Library Fee	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Other (National Day, Annual Event)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Total	6986	6986	6986	7136	7236	7236	8767	8967	8967	8967
Admission Fee for New Admission only	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Principal
Utkarsh Vidhyalaya
Garhi



परिशिष्ट-II

वचन पत्र

मैं, प्राधिकृत व्यक्ति, श्री/सुश्री/श्रीमती AMEEN CHARLES पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late Shri N CHARLES आयु 50
निवासी Ward No. 19, Near Lodhi Hostel, Bhatara, Balaghat MP प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संघालक/प्रबंधक/न्यासी की
हसियत से, एतद्वारा यहवचन देता हूँ कि -

- (एक) प्ररूप-1 में दर्शाये गये विवरण तथा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत साक्ष्य मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।
- (दो) प्ररूप-2 के माध्यम से प्रस्तुत लेखों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षण किया गया है और अनुमानित बजट प्राक्कलन चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित है।
- (तीन) जिला/राज्य समिति द्वारा जो जानकारी अथवा विवरण और साक्ष्य इत्यादि चाहा जाएगा, उसे नियत समय सीमा में प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
- (चार) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए जिला/राज्य समिति के निर्देशों का अनुपालन करूंगा/करूंगी।
- (पांच) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के अधीन विनिरिक्त फीस से अधिक पैसे संग्रहीत नहीं करेगा तथा किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा।
- (छह) विद्यालय प्रबंधन द्वारा एकत्रित अतिरिक्त फीस, यदि कोई है, तो जिला/राज्य समिति द्वारा नियत कालावधि के भीतर संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी।
- (सात) प्रस्ताव के साथ संलग्न आय एवं व्यय विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

- (2) मैं अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने हेतु आश्वस्त करता/करती हूँ।
- (3) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि न तो मैंने किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, और न ही झूठी या गलत जानकारी दी है।

स्थान : BALAGHT
तारीख 15/04/2024

भवदीय
AMEEN CHARLES

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ संघालक प्रबंध न्यास

प्राधिकृत अधिकारी / व्यक्ति

विद्यालय का नाम UTKARSH VIDHYALAYA

न्यास/समिति/उपक्रम का नाम COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE